न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 10/2014

उनवान

1. भंवरसिह पुत्र हजारी (हजारी पुत्र कज्जा)
2. जीतसिंह पुत्र हजारी
3. किशनसिंह पुत्र हजारी
4. लक्ष्मी पुत्री हजारी
5. बीरमा पुत्र कज्जा
6. रामा पुत्र कज्जा

   समस्त जाति रावत निवासी हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर

.... अपीलान्ट ......

बनाम

1. श्री कृष्ण यादव पुत्र श्री फूलसिंह यादव

2. मीना कुमारी पत्नि कृष्ण यादव

   समस्त जाति यादव निवासी ग्राम बालावास अहीर पोस्ट बोडिया कमालपुर तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा) हाल क्वार्टर नं0 1–3 सी.आर.पी.एफ जी.सी 2 फाईसागर रोड अजमेर जरिये मुख्त्यारआम छोटूसिह पुत्र हजारी जाति रावत निवासी ग्राम हाथीख्डा तहसील व जिला अजमेर

3. छोटू पुत्र श्री हजारी जाति रावत निवासी ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर

4. ग्राम पंचायत हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर जरिये संरपच महोदय

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 199 दिनांक 25.01.2001

<u>आदेश</u>

दिनांक :– 05.12.2019

अपील कें सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात खसरा संख्या 492 रकबा 0–12–10 बीघा

Scanned by CamScanner

ग्राम हाथीखेडा में अवस्थित है। एक्त आराजीयात में से 256.66 वर्गगज भूमि जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 4.6.97 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा व दखलप्रदान किया गया एवं विक्रयशुद्वा भूमि को भूखण्ड संख्या 1 व 2 विक्रय पत्र में अंकित किया गया तथा पूर्व व पश्चिम की भुजा का नाप 70 फिट तथा उत्तर व दक्षितण भुजा का नाप 33 फिट अंकित कर पडौस अंकित कर दिए गए थे। उक्त विक्रय पत्र को विद्वान उप पंजियक महोदय अजमेर के समक्ष दिनांक 17.6.97 को रेस्पो. संख्या 2 के हक में पजिबद्व करा निष्पाद्वित कर दिया गया कलेकिन उक्त विक्रय पत्र खसरा संख्या 493 रकबा 0–15–00 बीघा अंकित हो गया । इसी प्रकार खसरा संख्या 492 में अवस्थित भूखण्ड संख्या 3 रकवा 130.27 वर्गगज जिसकी पूर्वी व पश्चिमी भुजा का नाप 35 फिट तथा उत्तरी व दक्षिणी भुजा का नाप 33 फिट अंकित कर पडौस अंकित कर दिनांक 5.2.98 को रेस्पो0 संख्या 1 को विक्रय कर दिया गया एवं इस बाबत पंजिकृत किव्रय पत्र उप पंजियक महोदय अजमेर के समक्ष दिनांक 15.6.98 को पंजिबद्व करा निष्पादित कर दिया लेकिन पंजिकृत विक्रय पत्र में 492 के स्थान पर खसरा संख्या 493 सहवन टंकण को त्रुटिवश दर्ज हो गया। पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.6.97 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 199 ग्राम पंचायत हाथीखेडा द्वारा खसरा संख्या 493 रकबा 0–15–00 बीघा में से 0–02–13 बीघा का रेस्पो. संख्या 2 के नाम तस्दीक कर अमल दरामद कर दिया एवं विक्रय पत्र दिनांक 15.6.98 के आधार पर ग्राम पंचायत हाथीखेडा द्वारा नामानतकरण संख्या 200 दिनांक 25.1.2001 को रेस्पो. संख्या 1 के नाम खसरा संख्या 493 रकबा 0–12–06 में से 00–01–06 बीघा का तस्दीक कर अमल दरामद कर दिया गया । उपरोक्त त्रुटि बाबत जानकारी होने पर दोनो पक्षों के मध्य विद्वान उप पंजियक महोदय अजमेर के समक्ष दिनांक 4.2.2004 को शुद्वि पत्र पंजिकृत कर निष्पादित किया गया ताकि भूखण्ड संख्या 1 व 2 रकबा 256.66 वर्गगज बाबत निष्पादित पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.6.97 एवं भूखण्ड संख्या 3 का रकबा 130.27 वर्गगज बाबत निष्पादित पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.6.98 बाबत एक ही शुद्वि पत्र अपीलांटस एवं रेस्पो के मध्य निष्पाद्वित किया जाकर खसरा संख्या 493 रकबा 0–15–00 बीघा के स्थान पर खसरा संख्या 492 रकबा 0–12–10 बीघा में से भूखण्ड संख्या 1, 2 2 व 3 विक्रय किया जाना अंकित करते हुए दुरूस्त कराया गया एवं उक्त शुद्वि पत्र विद्वान उप पंजियक महोदय अजमेर द्वारा दिनांक 4.2.2004 को पंजिबद्व किया जाकर मूल विक्रय पत्रो का भाग माना जाकर उनके साथ संलग्न किया जाकर अंकन करते हुए निष्पाद्वित किया गया । उपरोक्त शुद्वि पत्र दिनांक 4.2.2004 निष्पादित किया जा चुका है एवं क्रेता/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को खसरा संख्या 492 में अवस्थित भूखण्ड संख्या 1, 2 व 3 का ही कब्जा प्रदान किया गया था इसी कारण शुद्वि पत्र निष्पादित किया गया लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के नाम वर्किंग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 199 व 200 का अमल दरामद किया जा चुका है अर्थात शुद्वि पत्र निष्पादित करने के बाद भी खसरा संख्या 492 के

Scanned by CamScanner

बजाए खसरा संख्या 493 का रकबा क्रमश 0—02—13 एवं 0—01—06 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के नाम यथावत दर्ज चला आ रहा है जिससे नामान्तकरण संख्या 199 व 200 को निरस्त फरमाया जाना न्यायाचित है। अतः नामान्तकरण संख्या 199 दिनांक 25.1.2001 के विरूद्व अपीलांटस अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत हाथीखेडा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 199 दिनांक 25.1.2001 निरस्त फरमा कर अधिकार अभिलेख में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज प्रविष्टि तर्क फरमा कर अपीलांटस के नाम पूर्ववत अमल दरामद यथावत रहने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए । रेस्पोडेन्ट 3 नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

रेस्पोडेन्ट 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस में निवेदन किया गया कि नामान्तकरण एक समरी कार्यवाही है। ग्राम पंचायत द्वारा पंजिकृत दस्तावेजो के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण एक समरी कार्यवाही है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो की बैधता इन्द्राज दुरूस्ती से सबंधित निर्णय पारित किया सम्भव नही है। चूकि धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पजिकृत दस्तावेज में उल्लेखित सम्पत्ति के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। साथ ही अपीलान्ट धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत भी शुद्वी पत्र दिनांक 4.2.2004 से 9.9.2014 के मध्य 10 वर्षो की अवधि के सबंध में कोई प्रमाणित एवं सदभावित कारण उल्लेखित नही किए है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन भारहीन मियाद बाहर होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है ।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.10 12:25:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: